



**प्रेस नोट थाना शिकोहाबाद दिनांक 22-08-2024 जनपद फिरोजाबाद ।**

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त मनोज की धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत मूल्य 52 लाख 02 हजार रुपये (52,02,000.00 रुपये) की चल / अचल सम्पत्ती को मौके पर जाकर कुर्क करते हुए की गयी जब्तीकरण की कार्यवाही ।**

□  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में अपराधियों पर लगातार की जा रही है धारा 14(1) के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही.....

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण फिरोजाबाद, क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के पर्यवेक्षण में थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम मय राजस्व टीम द्वारा सम्बन्धित मु0अ0सं0 165/2023 धारा 2/3 गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित गैंगस्टर अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र भीष्मपाल सिंह निवासी मोहिनीपुर थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद हाल निवासी लक्ष्मीनगर बोझिया कस्बा व थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद की अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में चल / अचल सम्पत्ति मूल्य 52 लाख 02 हजार रुपये (52,02,000.00 रुपये) को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है ।

क्र0सं0	सम्पत्ती का प्रकार	कुर्क की गयी सम्पत्ती का मूल्य
1	मौजा चितावली के गाटा संख्या 24 में रकवा 77.13 वर्गमीटर	13,50,000.00 रुपये
2	वाहन संख्या यूपी 83 बीटी 1462 जो LPT 3718 BS 3 <sup>rd</sup> 10X2 जिसका चेसिस नं0-MAT541021HIC07453 इंजन नं0-71C63587526	14,52,000.00 रुपये
3	वाहन संख्या यीपी 83 बीटी 7272 जो TATA LPT 3118 CR BS IV 8X2 जिसका चेसिस नं0-MAT4662115K26995 इंजन नं0- 81क84829347	24,00,000.00 रुपये
	कुल योग:----	52,02,000.00 रुपये

**अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र भीष्मपाल सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-**

- 1.मु0अ0सं0 165/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
- 2.मु0अ0सं0-875/2022 धारा 386 भादवि थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।